(दिनांक 10.09.2016 के एंप्लायमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशनार्थ)

कर्मचारी चयन आयोग

कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की तिथि : 04.03.2017
अंतिम तिथि : 10.10.2016

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है "।

"विज्ञप्ति"

" दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला अस्थायी कांस्टेबल(कार्यकारी) की भर्ती परीक्षा- 2016"

फा.सं. 03/05/2016-नी व यो-। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस में पुरूष एवं महिला अस्थायी कांस्टेबल(कार्यकारी) की भर्ती-2016 के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

- **i)** इस परीक्षा का विज्ञापन दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है ।
- **ii)** अभ्यर्थियों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे ।
- **iii)** शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पी.ई. एण्ड एम.टी.) की समय सारणी दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की जाएगी तथा देशभर में विभिन्न स्थानों पर इसका क्षेत्र-वार आयोजन भी दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा । अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के लिए बुलावा पत्रों को दिल्ली पुलिस द्वारा अपलोड किया जाएगा ।
- **iv)** जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, उनके लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा किया जाएगा ।
- **v)** कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में होगी ।
- **vi)** कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्रों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा ।
- **vii)** आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के परिणाम को तैयार तथा घोषित किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों की योग्यता सूची आगे की विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (विचिप) और पुलिस जांच के लिए दिल्ली पुलिस को दी जाएगी ।
- **viii)** दिल्ली पुलिस द्वारा बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा(पुचिप) का आयोजन किया जाएगा ।
- **ix)** अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रहण तथा उनका सत्यापन नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करते समय दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा ।
- **x)** परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित न्यायालय मामलों/सूचना का अधिकार/लोक शिकायतों का निपटान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा ।
- **xi)** अन्य सभी विषयों जैसे रिक्तियों, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा, पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा का आयोजन, अभ्यर्थियों की पुलिस जांच से संबंधित न्यायालय मामलों/सूचना का अधिकार/लोक शिकायतों का निपटान दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा ।

xii) केवल शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को दिनांक 04.03.2017 से आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल(कार्यकारी)- पुरूष एवं महिला के निम्नलिखित पदों को भरने के लिए वेतन बैंड 1 में वेतनमान 5200-20200/-रूपए+ ग्रेड वेतन 2000/- रूपए **(7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् संशोधित वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-3)** में तथा अन्य यथा-स्वीकार्य भत्तों सहित निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय आधार पर कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसके लिए इसके नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा कर रहे देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं:-

क्रम सं.	**पदों का नाम**	**रिक्तियों की संख्या**				
		अनारक्षित	**अपिव**	**अजा**	**अजजा**	**योग**
1.	कांस्टेबल (कार्यकारी)-पुरूष	1557	847	473	238	3115
2.	कास्टेबल (कार्यकारी)- महिला	815	443	250	46	1554

केवल कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष की प्रत्येक श्रेणी में नियमानुसार 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत कोटे में से 50 प्रतिशत ऐसा कोटा भूतपूर्व सैनिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा:-

(क) विशेष बलों/राष्ट्रीय सुरक्षा गारद(विशेष कार्रवाई समूह) में सेवा की हो।

अथवा

(ख) कमांडो कोर्स में क्यूआई "अर्हक अनुदेशक" की ग्रेडिंग प्राप्त की हो।

अथवा

(ग) नौ सेना/वायु सेना के अधिकारी जिन्होंने विशेषीकृत कमांडो टाइप यूनिटों में काम किया हो।

टिप्पणी: भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह आरक्षण एसएलपी (सिविल) सं. 1980/14-पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम पवन सिंह तथा अन्य के निर्णय के अध्यधीन है।

टिप्पणी:

- केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- रिक्तियों की संख्या निश्चयार्थक है तथा परिणाम की घोषणा करने से पूर्व इसमें किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता हैं।
  - (क) कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष के पद के लिए आयु सीमा 18-21 वर्ष है।
  - (ख) कांस्टेबल (कार्यकारी) महिला के पद के लिए आयु सीमा 18-25 वर्ष है।

टिप्पणी: आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि की गणना **01-07-2016** से की गई है। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

गणना की तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए पात्र अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणी के लिए उपलब्ध श्रेणी-कोड और आयु में छूट निम्नानुसार है :

कोड सं.	श्रेणी	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट**
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
05	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
06	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
07	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
08	**केवल दिल्ली पुलिस में खुली रिक्तियों के लिए विभागीय पुरूष/महिला अभ्यर्थी** **विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	30 वर्ष की आयु तक
09	**विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	33 वर्ष की आयु तक
10	**विभागीय अभ्यर्थी (अजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	35 वर्ष की आयु तक
11	**विभागीय अभ्यर्थी (अजजा)** जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो ।	35 वर्ष की आयु तक
12	पुरुष एवं महिला खिलाड़ी (अनारक्षित)	05 वर्ष तक
13	पुरुष एवं महिला खिलाड़ी (अपिव)	05 वर्ष तक
14	पुरुष एवं महिला खिलाड़ी (अजा)	10(5+5) वर्ष तक
15	पुरुष एवं महिला खिलाड़ी (अजजा)	10(5+5) वर्ष तक
16	दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों/मल्टी टास्किंग स्टाफ (पहले समूह 'घ' कर्मचारी थे) के पुत्र/पुत्रियां	25 वर्ष की आयु तक
17	विधवाएं/तलाक शुदा महिलाएं/अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं	30 वर्ष की आयु तक

सामान्य अनुदेश:

कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष के पद के संबंध में भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 14.04.1987 के का.ज्ञा.सं. 36034/5/85-स्था(एससीटी) में यथा-परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:-

"भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो तथा जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो अथवा जिसकी सेवा विमुक्ति पुस्तिका में भूतपूर्व सैनिक का पृष्ठांकन है अथवाा जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो अथवा जिन्हें कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप अपने अनुरोध से अन्यथा उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो अथवा

जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवा मुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवा मुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो तथा इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल है, नामत:

(क) निरंतर मूर्त सेवा वाले पेंशन धारी

(ख) सैन्य सेवा के कारण अशक्त व्यक्ति, और

(ग) वीरता पुरस्कार विजेता"
तथापि, प्रादेशिक सेना के कार्मिक दिनांक 15.11.86 से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाएंगे।

वह भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें केन्द्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधीन कांस्टेबल के रूप में पुन: भरती किए जाने के पात्र हैं,यदि उनके सेवा विमुक्ति प्रमाणपत्रों में उनकी पिछली सेवा के लिए अच्छा अथवा उससे उच्चतर वर्गीकरण/दर्जा दर्शाया गया है, बशर्ते कि:-

"वे अपनी पिछली सेवा विमुक्ति के दो वर्षों के भीतर स्वयं उपस्थित होते है।

वे पुलिस आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आवश्यक स्थायी आदेशों में खुले बाजार से भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और यथा-विहित ऐसी क्षमता/दक्षता के समनुरूप हैं।

वे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त हैं, और उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी "।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि, वे केवल आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं।
सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि नियमानुसार आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी
आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा । **<u>स्पष्टीकरण</u>** संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात "भूपूसै" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपूसै. की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र सेनाओं में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने का इरादा रखते हैं, उन्हें अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जिसमें सशस्त्र सेनाओं से उनकी सेवा विमुक्ति की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। ऐसा अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें सशस्त्र सेनाओं से सेवा विमुक्ति की तारीख का उल्लेख नहीं है, को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनके आवेदन प्रपत्रों को कोई कारण बताए बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अन्य पिछड़े वर्ग की परिभाषा

वह अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत लाभों का दावा कर रहे है, उनकी जाति केन्द्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होनी चाहिए । यह छूट ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। यह प्रमाणपत्र, इस प्रयोजन के लिए अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया होना चाहिए। पर्याप्त प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (राराक्षेदिस) द्वारा जारी अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्र, लेकिन वह अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, को आरक्षण एवं आयु में छूट प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जाएगा।

प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने / अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब** इन प्रमाणपत्रों की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा **दस्तावेज सत्यापन के समय** मांग की जाए । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस) स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, बशर्तें कि वे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। प्रमाणपत्रों के प्रारुप संलग्न हैं । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे । आयोग ने इस परीक्षा के लिए **11.10.2013** और **08.04.2017** के बीच विहित प्रारूप(जिसमें गैर-क्रीमी लेयर दर्जा अंतर्विष्ट हो) में जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया है ।

टिप्पणी : **अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/ विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस) दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा ।**

अनिवार्य शैक्षिक योग्यता(आवेदन प्रपत्र को भरते समय)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 10+2 (उच्च माध्यमिक) उत्तीर्ण। दिल्ली पुलिस के केवल बैंड्समैन, बिगुलर, माउंटेड कांस्टेबलों, चालकों, डिस्पेच राइडर इत्यादि के लिए तथा दिल्ली पुलिस कार्मिकों और **केवल** दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ (पहले श्रेणी-IV कर्मचारी थे) चाहे वे सेवारत, सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हैं, के पुत्रों/पुत्रियों के लिए 11वीं कक्षा उत्तीर्ण तक छूट प्रदान की गई है।

- शारीरिक क्षमता एवं मापदण्ड परीक्षा के लिए नियत तिथि को पुरूष अभ्यर्थियों के पास हल्के मोटर वाहन(मोटर साइकिल/कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसैंस अवश्य होना चाहिए। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार्य नहीं है।

- अभ्यर्थी आयु, शिक्षा, जाति, पहाड़ी क्षेत्रों, अनापत्ति प्रमाणपत्र/सेवाविमुक्ति प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में), दिल्ली पुलिस कार्मिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री) को जारी आश्रित प्रमाण पत्र तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस (मोटर साइकिल/कार) से संबंधित सभी संबद्ध दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति अपने साथ अवश्य लाएं, जिनकी शरीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के आयोजन से पूर्व जांच की जाएगी।
- जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रपत्र को भरते समय शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे तथा उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- आयोग द्वारा अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र को भरते समय यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध प्रमाण-पत्र जैसे शैक्षिक योग्यता की अंक तालिकाएं प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि शैक्षिक अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।
  - देय शुल्क 100/-रुपए(एक सौ रूपए मात्र) के भुगतान का तरीका :
  - अभ्यर्थी नोट करें कि http://ssconline.nic.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे ।
  - ऑनलाइन आवेदनों के संबंध में शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक चालान/नेट बैंकिंग और किसी क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा ।
  - महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है ।
  - एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्ही भी परिस्थितियों में वापस **नहीं** किया जाएगा ।

शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के लिए केन्द्र

अभ्यर्थी द्वारा उस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का आवेदन प्रपत्र में अवश्य उल्लेख किया जाए जहां वह शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (शा.क्ष एवं मा.प) के लिए उपस्थित होना चाहता/चाहती है। शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा का आयोजन नीचे यथा-उल्लिखित निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में किया जाएगा। तथापि, आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति के पश्चात और उनकी संख्या के आधार पर ही अतिरिक्त केन्द्रों को सृजित किया जा सकता है। शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के केन्द्र के नगरों का निर्णय बाद में किया जाएगा।

शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कोड	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कोड
दिल्ली एवं हरियाणा	01	झारखंड	11
पंजाब एवं चण्डीगढ़	02	छत्तीसगढ़	12
उत्तराखंड	03	पश्चिम बंगाल	13
उत्तर प्रदेश	04	ओडिशा	14
हिमाचल प्रदेश	05	सीमान्ध्रा	15
राजस्थान	06	तेलांगाना	16
गुजरात, दमन दीव और दादरा नगर हवेली	07	कर्नाटक	17

महाराष्ट्र, गोवा	08	केरल, लक्षद्वीप	18
मध्य प्रदेश	09	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19
बिहार	10	असम तथा सिक्किम सहित समस्त पूर्वोत्तर राज्य	20
		जम्मू और कश्मीर	21

टिप्पणी:

- किसी भी परिस्थिति में शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथापि ऐसे मामलों में केन्द्र में परिवर्तन के लिए सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित आवेदनों पर दिल्ली पुलिस द्वारा विचार किया जा सकता है, यदि उन्हें संक्रियात्मक कारणवश किसी अन्य स्थान पर तैनात किया गया है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे सही-सही दर्शाना चाहिए।
- दिल्ली पुलिस के पास यह अधिकार **सुरक्षित** है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। दिल्ली पुलिस को यह भी अधिकार है कि वह शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के लिए केन्द्र

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रपत्र में उस केन्द्र का अवश्य उल्लेख किया जाए, जहां वह लिखित परीक्षा के लिए बैठना चाहता/चाहती है।

क्र.स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयो के पते
1.	2.	3.
1.	आगरा(3001), इलाहाबाद (3003), बरेली (3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), वाराणसी(3013), भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206)	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
2.	गंगटोक(4001), रांची(4205), बारासात(4402), बेरहाम पुर(4403), चिनसुराह(4405),जलपाईगुड़ी(4408), कोलकाता(4410), मालदा(4412), मिदनापुर(4413), सिलिगुड़ी(4415), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), कौंझरगढ़(4606), संबलपुर (4609), पोर्ट ब्लेयर (4802),	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एम एस ओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बंगलोर(9001), धारवाड़(9004), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), मैसूर(9009) , कोची(9204), कोझीकोड (कालीकट) (9206), तिरूवनन्तपुरम(9211), त्रिसूर(9212),	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
4.	अलमोड़ा(2001), देहरादून(2002), हल्द्वानी(2003), श्रीनगर (उत्तराखंड)(2004), हरिद्वार(2005) दिल्ली(2201), अजमेर(2401), अलवर (2402), बीकानेर(2404), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407), श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409)	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504

5.	ईटानगर(5001),डिब्रूगढ़(5102), गुवाहाटी(दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), कोहिमा(5302), शिलांग(5401),इम्फाल(5501), चूड़ाचाँदपुर(5502) , अगरतला(5601), आइजोल(5701)	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाऊसफेड कम्प्लेक्स वेस्ट एन्ड ब्लॉक,लास्ट गेट, बेल्टोला बशिस्ट रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
6.	गुंटूर(8001), कर्नूल(8003),राजमुंदरी(8004), तिरूपति(8006), विशाखापट्नम(8007), चेन्नई(8201), कोयम्बटूर(8202), मदुरै(8204), तिरूचिरापल्ली(8206), तिरूनेलवेली(8207), पुडुचेरी(8401), हैदराबाद(8601), निजामाबाद(8602), वारंगल(8603)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ई वी के संपत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
7.	अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर (7009), कच्छ(7010), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर(7203), मुम्बई(7204), नागपुर(7205),नंदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे(7208), ठाणे(7210),भंडारा(7211), चंद्रपुर(7212), अकोला(7213), जलगांव(7214), पणजी(7801),	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	भोपाल(6001), छिंदवाड़ा(6003), गुना(6004), ग्वालियर(6005) इंदौर(6006), जबलपुर(6007), खंडवा(6009), रतलाम(6011), सतना(6014), सागर(6015), अम्बिकापुर(6201), बिलासपुर(6202), जगदलपुर(6203), रायपुर(6204), दुर्ग(6205),	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
9.	अनंतनाग(1001), बारामूला(1002), जम्मू(1004),लेह(1005), राजौरी(1006), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)(1007), कारगिल (1008) डोड्डा (1009), हमीरपुर(1202), शिमला(1203), भठिंडा (1401), जलंधर(1402), पटियाला(1403), अमृतसर(1404), चंडीगढ़(1601)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3, भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017

टिप्पणी :

- किसी भी परिस्थिति में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथापि ऐसे मामलों में केन्द्र में परिवर्तन के लिए सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित आवेदनों पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है, यदि उन्हें संक्रियात्मक कारणवश किसी अन्य स्थान पर तैनात किया गया है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे सही-सही दर्शाना चाहिए।
- आयोग के पास यह अधिकार **सुरक्षित** है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी **अन्य** केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर **स्थानांतरित** कर दे ।

कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की रूपरेखा

कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा(परीक्षा की तिथि 04.3.2017)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
तर्कशक्ति	3 5	3 5 अंक	90 मिनट
सामान्य ज्ञान /सामयिक विषय	50	50 अंक	
संख्यात्मक योग्यता	15	15 अंक	
योग	100	100	

टिप्पणी:

- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है।
- सभी अभ्यर्थियों को **शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा** देनी होगी।
- अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन/कैल्क्यूलेटर अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक/वैद्युत उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा परिसरों में मोबाइल फोन, कैल्क्यूलेटर अथवा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक/वैद्युत उपकरण नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं को अपने पास रखना, चाहें वे इनका प्रयोग करें या न करें, उन्हें परीक्षा में " अनुचित साधनों को प्रयोग" करते हुए माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्व आयोग की वर्तमान नीति के अनुसार आयोग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी।
- आयोग उत्तर-कुंजियों (KEYS) को वेबसाइट पर डालने के **दस दिनों** के उपरांत कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्रों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का संज्ञान नहीं लेगा।
- कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, उस स्थिति में नई तिथि की सूचना समाचारपत्रों, आयोग की वेबसाइटों और इस परीक्षा के प्रवेश पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।
- कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश आयोग की वेबसाइट http://ssc.nic.in पर उपलध हैं।
- यदि आवश्यक समझा गया तो आयोग के पास परीक्षा के किसी अतिरिक्त स्तर को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी सूचना यथोचित समय पर दी जाएगी।

शारीरिक मापदण्ड

पात्रता परीक्षाएं

अभ्यर्थियों की श्रेणी	लंबाई (सें.मी. में)	सीना (सें.मी. में)	
		बिना फुलाए	फुलाकर (न्यूनतम 4 सें.मी.)
केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए **' सामान्य' /अपिव**	170	81	85
अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	170	81	85
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	165	76	80
पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी अर्थात, गढ़वाली, कुमायूं निवासी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर एवं लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165	76	80

दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवा-निवृत्त पुलिस कार्मिकों/मल्टी टास्किंग स्टाफ (पहले समूह 'घ' कर्मचारी थे) के पुत्रों के लिए	165	76	80
केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य/अपिव	157	--	--
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए	155	--	--
पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी अर्थात, गढ़वाली, कुमायूं निवासी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर एवं लेह और लद्दाख क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	155	--	--
दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवा-निवृत्त पुलिस कार्मिकों/मल्टी टास्किंग स्टाफ (पहले समूह 'घ' कर्मचारी थे) की पुत्रियों के लिए	152	--	--

टिप्पणी: **शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा का आयोजन दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा।**

भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों (आयु-वार) के लिए कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष के पद हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक) निम्नानुसार होगी:-

आयु	दौड़ 1600 मीटर	लंबी कूद	ऊंची कूद
31 वर्ष तक	6 मिनट	14 फीट	3'9"
31 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक	7 मिनट	13 फीट	3'6"
40 वर्ष से अधिक	8 मिनट	12 फीट	3'3"

विभागीय अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों (आयु वार) के लिए कांस्टेबल (कार्यकारी) महिला के पद हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक) निम्नानुसार होगी:-

आयु	दौड़ 1600 मीटर	लंबी कूद	ऊंची कूद
31 वर्ष तक	08 मिनट	10 फीट	3 फीट
31 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष तक	09 मिनट	09 फीट	2'9"

टिप्पणी:

- जो अभ्यर्थी दौड़ में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, वे लंबी कूद और ऊंची कूद में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
- लम्बी कूद और ऊँची कूद में अर्हता प्राप्त करने के लिए तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- दौड़, लम्बी कूद और ऊँची कूद में अनर्हता के विरुद्व कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, तथापि अभ्यर्थी लम्बाई और सीने के माप के विरुद्व शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के दिन अपील बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं।
- महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप नहीं होगी। वह महिला अभ्यर्थी, जो शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के समय गर्भवती हैं, उनकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि वे परीक्षा नहीं दे सकती। ऐसे अस्वीकरण के विरुद्व कोई अपील/अभ्यावेदन स्वीकर नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त यथा-उल्लिखित लम्बाई और सीने (जैसी भी स्थिति हो) में छूट, अभ्यर्थियों द्वारा, जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, उस जिले के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा यथा-विहित प्रपत्र में जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुज्ञेय होगी।
- शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि यह परीक्षा केवल अर्हक/निष्कासन स्वरूप की होगी।

- शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा के दौरान स्वापकों का प्रयोग करने से अभ्यर्थी को अनर्हक कर दिया जाएगा।

<u>दोनों पदों के लिए चिकित्सा मापदंड</u>

- दोनों आखों की दूर-दृष्टि (बिना चश्मे के) कम से कम 6/12 होनी चाहिए और यह दृष्टि वर्णांधता से मुक्त होनी चाहिए।
- जिन अभ्यर्थियों ने अपनी दृष्टि (नेत्र दृष्टि) के सुधार के लिए लेसिक सर्जरी कराई है वह इस पद के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि सरकारी अस्पताल में नामित लिखित परीक्षणों के पश्चात उनकी दृष्टि (नेत्र दृष्टि) सामान्य पाई जाती है:-
    1. भेदक अति संवेदनशीलता
    2. हल्के प्रकाश में दृष्टि (मेसोपिक विजन)
    3. ग्लेयर एक्यूटी
- अभ्यर्थी के अनिवार्य रूप से जुडे.हुए घुटने, समतल पैर सूजी हुई नसें, उंगलियां, छाती और हड्डियों में कमी या विकृति, हैलक्स वैलगज, हैलक्स रिजीडस, आखों का भेंगापन, चौड़ी टांगे और शरीर के किसी भी भाग की कमी सहित अन्य विकृति नहीं होनी चाहिए।
- अभ्यर्थियों को स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी कमी, विकृति या बीमारी से मुक्त होना चाहिए जिससे उनकी ड्यूटी के दक्ष कार्य निष्पादन में बाधा आने की संभावना है। इस संबंध में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (ओं) और साक्षात्कारों के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा योग्यता सूची की तैयारी संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय <u>अंतिम</u> होगा तथा अभ्यर्थियों पर <u>बाध्यकारी</u> होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विवाद दिल्ली न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

<u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u>

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। यह विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट http:ssc.nic.in पर उपलब्ध है।

2. अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै के रूप में आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। जब पीईएमटी के समय तथा लिखित परीक्षा के पश्चात प्रमाणपत्र प्रतियों की मांग की जाए तब उनके पास अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए । अपिव अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इस विज्ञप्ति में निर्धारित तारीख के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया अपिव प्रमाणपत्र है।
3. शारीरिक दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र <u>नहीं</u> हैं ।
4. एक सौ रुपए का देय शुल्क भारतीय स्टेट बैंक चालान, नेट बैंकिंग तथा किसी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से स्वीकार्य होगा। सभी महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सरकारी आदेश के अनुसार आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
5. अंतिम तिथि: वेबसाइट http://ssconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए एक सरलीकृत प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है। एक बार किया गया पंजीकरण अभ्यर्थी के लिए स्थायी डाटाबेस है। प्रणाली द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण आइडी तथा पासवर्ड सुरक्षित रखना चाहिए ताकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में इसका प्रयोग किया जा सके। वेबसाइट ssc.nic.in पर अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध है। पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में लॉगइन कर आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन (डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 10-09-2016 से10-10-2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि वह अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वे दिनांक 13-10-2016 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा चालाना दिनांक 10-10-2016 को सायं 5.00 बजे से पहले जनरेट किया हो। चालान जनरेशन की सुविधा केवल दिनांक 10.10.2016 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
6. परीक्षा स्थल के परिसर के भीतर मोबाइल फोन और उपकरणों एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक गेजैट का उपयोग वर्जित है । जिन अभ्यर्थियों के पास ऐसे गेजैट पाए जाएंगे, उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी । आयोग ऐसे उपकरणों को अपने पास रखना अनुचित साधनों का प्रयोग समझता है।
7. केवल ऑनलाइन मोड माध्यम से किए गए आवेदन को स्वीकार किए जाएंगे । किसी अन्य मोड के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।
8. एक से अधिक आवेदनों को जमा करना-अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना है। एक से अधिक आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना अभ्यर्थी का दायित्व है कि वह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी)(पुरुष/महिला)परीक्षा-2016 में केवल एक बार बैठे है । किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि वह उक्त परीक्षा में एक से अधिक बार शामिल हुए हैं तो उसका/उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
9. ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के संबंध में, ऑनलाइन आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से आयोग द्वारा पावती भेजी जाएगी।

10. पीईएण्ड एमटी के लिए प्रवेश पत्र दिल्ली पुलिस की वेबसाइट :www.delhipolice.nic.in पर दिल्ली पुलिस द्वारा अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
11. राज्यबार पीईएमटी कार्यक्रम के लिए विज्ञप्ति दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है।
12. किसी अन्य पूछताछ के लिए अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस भर्ती सेल के हेल्पडैस्क, भर्ती सेल, एनपीएल, किंगसवे कैम्प, दिल्ली-110009 के दूरभाष संख्या पर शनिवार, रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सभी कार्य दिवस पर सुबह 09:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
    011-27412715

    011-27241205
    011-27241206
13. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचना पत्र, आयकर पेन कार्ड को मूल रूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के वेबसाइट पर आपलोड किया जाएगा।
15. धुंधले फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित पैरा देखें)

मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ………… ……………………… (नंबर) …………………………………(रैंक) ………………………… …………(नाम)…………………………………………………(दिनांक)……………………………को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान: (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था.(आ.) दिनांक 14.08.2014 के निर्देशों को छोड़कर भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं :

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ____________________

ख) कार्यमुक्ति की तिथि ____________________

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि ____________________

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर __________________

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान

दिनांक :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उेश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*…………………… …….. ….. .. . … …
पुत्र/पुत्री…………………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा* …………………..
जिला/संभाग*……………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*……………….के ………………..
जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950……………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*……………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*………………………………………

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950……………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950…………………………………………
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*……………………………………………
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*………………………………………

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956……………………….
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ………………………………………….के माता/पिता श्री/श्रीमती……………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा*……………………… जिला/संभाग*…………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*……………………………………… को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो … ……………………….जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो…………………………………. दिनांक ……………. …………….द्वारा जारी……………………………………….राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
श्री/श्रीमती/कुमारी………………………. और/या* उनका परिवार सामान्यत:
ग्राम/कस्बा*…………………. जिला/संभाग*…………………………..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र…………………………….में रहता है ।

हस्ताक्षर…………………..
** पदनाम……………….
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान……………..
दिनांक…………….
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यत: रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

** **जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ....पुत्र/पुत्री .... ग्राम .... जिला/संभाग ....राज्य .... समुदाय से संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं............................ दिनांक..................* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

श्री/श्रीमती/कुO .... तथा/या उनका परिवार सामान्यत:.......... .... राज्य के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08. 09. 1993** के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनूसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश............................
या उपायुक्त आदि...................

दिनांक:
मुहर:

- प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

(कृपया संबंधित पैरा- देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार, संख्या---------------------------रैंक --------------------------------------- नाम ---जिन्हें-- के रैंक पर ---में --को----------------------------------नियुक्त किया गया था, वे ---में लगातार सेवा कर रहे हैं और तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने --को अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हैं । वे इस समय इस यूनिट --(यूनिट का नाम) में तैनात हैं । सेवा के दौरान उन्हें ---जैसी बड़ी सजा और ------------------------------------जैसी हल्की सजा दी गई है ।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम ----------------

कार्यालय की मुहर

खेलों की सूची

1. एथलेटिक्स
2. तैराकी
3. शूटिंग
4. मुक्केबाजी
5. साइक्लिंग
6. कुश्ती
7. जिमनास्टिक
8. जूडो
9. भारोत्तोलन
10. कराटे
11. अश्वारोही घुड़सवार
12. तीरंदाजी
13. टेबिल टेनिस
14. टेनिस
15. बैडमिंटन
16. ट्राइथियन
17. वालीबॉल
18. खो-खो
19. बास्किट बॉल
20. फुटबॉल
21. कवड्डी(सॉर्कल कवड्डी/बीच कवड्डी)
22. हॉकी
23. क्रिकेट

फॉर्म-1

जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

(अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता के किसी मान्यताप्राप्त खेल में भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

-----------------राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय एशोसिएशन

भारत सरकार के अधीन समूह 'ग' तथा 'घ' सेवाओं में नियुक्ति हेतु मेधावी खिलाड़ियों के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री...जन्म तिथि...................... ....(संपूर्ण पता) के निवासी ने दिनांक .... से ....तक .... में आयोजित ....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ....खेल/चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया था ।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूनामेंट में व्यक्तिगत/दल के रूप में .... स्थान प्राप्त किया गया ।

यह प्रमाणपत्र.................के राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय एशोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है ।

स्थान:...........................

हस्ताक्षर...............

दिनांक:........................

नाम.................................

पदनाम.............................

राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय एशोसिएशन का नाम

पता..

टिप्पणी : यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध होगा जब सचिव, राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय एशोसिएशन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित हो ।

फॉर्म-2

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता के किसी मान्यताप्राप्त खेल में भारतवर्ष के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु)

जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

----------------खेल में ....राज्य एशोसिएशन

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' तथा 'घ' सेवाओं में नियुक्ति हेतु मेधावी खिलाड़ियों के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री...जन्म तिथि...................... ....(संपूर्ण पता) के निवासी ने दिनांक .... से ....तक .... में आयोजित ....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ....खेल/चैम्पियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूनामेंट में व्यक्तिगत/दल के रूप में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाणपत्र.................के राज्य एशोसिएशन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान:...........................
हस्ताक्षर...............

दिनांक:........................
नाम.................................
पदनाम.............................
राज्य एशोसिएशन/संघ का नाम ....
पता..
मुहर:

टिप्पणी : यह प्रमाणपत्र केवल तभी वैध होगा जब राज्य एशोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित हो।

<u>लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -- ----------------------------पुत्र श्री-- ---ग्राम------ -- ------------------------तहसील/तालुका------------------------------------- --जिला--राज्य के स्थायी निवासी हैं ।	जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

- ऊपरोल्लिखित क्षेत्र(गढ़वाली, कुमायूंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किमी)के संपूर्ण निवासियों के मामले में भारतीय संघ के अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों में भर्ती हेतु लंबाई तथा सीने की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।
- वह हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के कश्मीर तथा लेह एवं लद्दाख क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर,त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम का निवासी है जिनके मामले में भारतीय संघ के अर्द्धसैनिक बलों/पुलिस बलों में भर्ती हेतु लंबाई तथा सीने की माप में छूट के लिए विचार किया जाता है ।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :

स्थान :

<u>अभ्यर्थी को सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत पुलिस कार्मिक के आश्रित के रूप में दर्शाने वाला प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री----------------------------(पुलिस कार्मिक के नाम)……………
रैंक ------------------------------रेंज/रक्षीदल सं.-------------------------पीआईएस सं.------------------
जिला/यूनिट में ---------------------से-------------------तक सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत है । उनका सुपुत्र/
अविवाहित सुपुत्री--------------------------------(नाम) दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा में अनंतिम रूप से बैठना चाहते/चाहती हैं ।

जिला पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त जिला
पुलिस आयुक्त /सहायक पुलिस आयुक्त/
संबंधित जिला यूनिट के मुख्यालय के हस्ताक्षर

(अधिकारी के मुहर सहित नाम एवं पदनाम)

दिनांक :-